भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2331

गुरूवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक)

कामगारों के लिए सुरक्षा उपाय

2331. श्री मिलिंद मुरली देवरा

डा. के. लक्ष्मणः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 के अंतर्गत परिकल्पित उद्योगों, विशेष रूप से निर्माण, खनन और विनिर्माण में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर कार्यदशाओं को सुनिश्चित करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) दुर्घटनाओं और व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम के लिए, विशेष रूप से तेलंगाना जैसे राज्यों के औद्योगिक समूहों में, सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) कामगारों के अधिकारों की रक्षा करते हुए सुरक्षा और स्व-प्रमाणीकरण की संस्कृति को बढ़ावा देने में निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ताओं की भूमिका क्या है और प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है; और

(घ) उत्पादकता, कामगार का कल्याण और कार्य की गरिमा को बढ़ाने पर इन उपायों का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): केंद्र सरकार ने सन्निर्माण, कारखानों, खनन आदि सहित प्रतिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं को विनियमित करने के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी) संहिता 2020 को अधिनियमित किया है जो दिनांक 21.11.2025 से लागू हुई है। ओएसएच और डब्ल्यूसी कोड 2020 के उपबंध और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियम और मानक समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं।

जारी...2/-

ओएसएच संहिता, अन्य बातों के साथ-साथ, 10 या उससे अधिक कामगारों वाले सभी प्रतिष्ठानों में और जोखिमपूर्ण या जानलेवा व्यवसायों में यहां तक कि एक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए भी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं को सार्वभौमिक रूप से लागू करने, कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच, नियुक्ति पत्रों के माध्यम से औपचारिकरण, कार्य घंटों का विनियमन, महिलाओं को रात की पाली (सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ) सहित सभी प्रकार के कार्यों में सभी क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति, अनुपालन में सहायता के लिए निरीक्षकों को निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता बनाने, सरलीकृत अनुपालन अर्थात् एकल लाइसेंस, एकल पंजीकरण और एकल रिटर्न प्रणाली, वेब आधारित यादृच्छिक निरीक्षण, तीसरे पक्ष के ऑडिट और स्टार्ट-अप प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों के वर्ग का प्रमाणन आदि के लिए प्रावधान करती है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के श्रम और उद्योग सचिवों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन, वीवीजीएनएलआई द्वारा संहिताओं के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों की क्षमता निर्माण, आईगॉट पर संहिता विशिष्ट ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), खान सुरक्षा महानिदेशालय, कारखाना सलाह और श्रम संस्थान महानिदेशालय, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड द्वारा स्थापना परिसरों में कामगारों और नियोक्ताओं, व्यापार संघों (ट्रेड यूनियनों) आदि के लिए जागरुकता कार्यक्रम आदि सहित जागरुकता उन्नयन शामिल हैं। तेलंगाना सरकार ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षमता निर्माण, प्रबंधन के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आदि आयोजित करके जागरूकता बढ़ाई है।

ओएसएच एंड डब्ल्यूसी, संहिता, 2020 समुचित सरकार को निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता नियुक्त करने और वेब-आधारित यादृच्छिक निरीक्षण प्रणाली तैयार करने का अधिकार प्रदान करती है। कानूनों के अनुपालन की सुविधा के लिए प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका को फिर से उन्मुख करके, प्रौद्योगिकी और स्पष्ट दिशानिर्देशों का उपयोग करके, निरीक्षण अधिक पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण और कुशल हो जाएंगे। समुचित सरकार, तीसरे पक्ष के ऑडिट और प्रमाणन हेतु विशेषज्ञों के पैनल के लिए योजना भी तैयार कर सकती है।

ये उपाय, सुरक्षित कार्य वातावरण, कानूनों का बेहतर अनुपालन, नियोजन का औपचारिकरण प्रदान करते हुए उत्पादकता, कामगारों की भलाई और गरिमा को बढ़ावा देते हैं।
